कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मंड़ल, ग्वालियर (म.प्र.)

निग. रिव्यू / 3020 / PBR / 15

1. संजय जैन, आयु वयस्क आत्मज श्री जिनेश कुमार जैन, निवासी –ई–3 / 99, अरेरा कॉलोनी भोपाल, म.प्र.

2. अभय मिश्रा, आयु वयस्क, आत्मज श्री आर.पी. मिश्रा एवं श्रीमती शारदा मिश्रा, आयु – वयस्क, निवासीगण–8, सौम्या एनक्लेव, चूना भट्‌टी, भोपाल म.प्र.

3. अम्बरीश तिवारी, आयु वयस्क, आत्मज श्री हरीनारायण तिवारी, निवासी– बंगला नं.6 बी, ओएसिस, चूना भट्‌टी,भोपाल, म.प्र. – पुनर्विलोकनकर्तागण

दिनांक 8-9-15 को श्री प्रमोद श्रीवास्तव अभि० द्वारा प्रस्तुत।
8-9-15

विरूद्व

मध्यप्रदेश शासन

.........अनावेदक

पुनर्विलोकन याचिका अंतर्गत धारा 51 म.प्र. भू– राजस्व संहिता 1959

पुनर्विलोकनकर्तागण, उनके द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील / निगरानी 2575–पी.बी.आर / 15 में न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंड़ल, ग्वालियर, द्वारा, दिनांक11.08.2015 को, पारित आदेश से व्यथित होकर, यह पुनर्विलोकन याचिका प्रस्तुत करते हैं ।

प्रकरण के तथ्यः–

1. यहकि पुनर्विलोकनकर्ताण के द्वारा, अपने स्वत्य, स्वामित्व व आधिपत्य की खसरा कमांक 75 / 1 / 1 / 1, खसरा कमांक 75 / 1 / 1 / 2, खसरा कमांक 75 / 1 / 1 / 4 खसरा कमांक 75 / 1 / 1 / 6 (क) खसरा कमांक 75 / 1 / 1 / 7 खसरा कमांक 75 / 1 / 1 / 8, खसरा कमांक 75 / 1 / 1 / 9 खसरा कमांक 75 / 1 / 1 / 11 का अंश भाग, खसरा कमांक 75 / 1 / 1 / 12 एवं खसरा कमांक 75 / 1 / 1 / 13 की, 2.733 हैक्टेयर, भूमि, स्थित ग्राम चंदनपुरा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, म.प्र. जिसे भोपाल विकास योजना में सावर्जनिक व अर्द्वसावर्जनिक उपयोग हेतु आरक्षित किया गया था, के अनुसार उपयोग करने व नवीन भू–

प्रकरण कमांक रिव्यु 3020--पीबीआर/2015 [संजय जैन / शासन] जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04--10--16	आवेदक अनुपस्थित । यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 2575--पीबीआर/2015 में पारित आदेश दिनांक 11--8--2015 के विरूद्ध म0प्र0भू--राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2-- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :-- 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है, इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । आवेदक सूचित हों । (हस्ताक्षर) अध्यक्ष	